



## उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०

शक्ति भवन, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ - 226001

(उ० प्र० सरकार का उपक्रम)

**U.P. RAJYA VIDYUT UTPADAN NIGAM LTD.**

(A U.P. Government Undertaking)

**SHAKTI BHAWAN, 14-ASHOK MARG, LUCKNOW-226001**

**CIN: U40101UP1980SGC005065**

पत्र सं०: 2389-मा०सं०प्र०-02/उनि०लि/2017-15(एन०जी०)-मा०सं०प्र०-02/2001 दिनांक 18 सितम्बर, 2017

### कार्यालय ज्ञाप

**विषय :- उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि० के समस्त पेंशनर/पारिवारिक पेंशनरों को महँगाई राहत की स्वीकृति।**

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि० के आदेश संख्या: 1697-मा०सं०प्र०-02/उ०नि०लि०/2016-15एन०जी०/2001 दिनांक 02.08.2016 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश सं०:24/2017/सा-3-475/दस-2017-301/2000 टी०सी० दिनांक 04.08.2017 में निहित प्राविधानों की अनुरूपता में निगम के पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को दिनांक 01 जनवरी, 2006 से पुनरीक्षित पेंशन/पारिवारिक पेंशन पर दिनांक 01 जुलाई, 2016 से 132% एवं 01 जनवरी, 2017 से 136% की दर से महँगाई राहत अनुमन्य कराये जाने की स्वीकृति एतद्वारा प्रदान की जाती है।

2- दिनांक 01.01.2006 से प्रभावी अनन्तिम पेंशन पर भी उपर्युक्तानुसार महँगाई राहत अनुमन्य होगी।

3- पूर्ववर्ती परिषद के कार्यालय ज्ञाप सं०: 1054-डब्लू०सी०/राविप-ओ०सं०-19-14(23)एफ-85 दिनांक 10.06.88 में निहित आदेशानुसार पेंशन पर उपरोक्त महँगाई राहत के भुगतान के लिये मुख्य महाप्रबन्धक(वित्त)/महाप्रबन्धक(लेखा)/उप मुख्य लेखाधिकारी/लेखाधिकारी के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी। अतः पेंशन भुगतान अधिकारियों/सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक द्वारा इस कार्यालय ज्ञाप के आधार पर ही उपरोक्तानुसार अनुमन्य महँगाई राहत का भुगतान कर दिया जायेगा।

4- महँगाई राहत स्वीकृत करने के सम्बन्ध में अन्य शर्तें एवं प्रतिबन्ध, जो इस सम्बन्ध में निर्गत पूर्व निगमादेशों में उल्लिखित हैं, पूर्ववत् लागू रहेंगे।

**अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक**

**सं०:2389-मा०सं०-02/उनि०लि/2017 तददिनांक :**


प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- (1) अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, लखनऊ के निजी सचिव।
- (2) निदेशक कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
- (3) निदेशक वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, कक्ष संख्या-148, प्रथम तल, जवाहर भवन, लखनऊ।
- (4) समस्त जिलाकोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- (5) निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन/तकनीकी/वित्त/परियोजना एवं वाणिज्य), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ के स्टाफ आफिसर/निजी सचिव।

**कमश: 2/-**

- (6) मुख्य महा प्रबन्धक (वित्त), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ ।
- (7) मुख्य अभियन्ता एवं परियोजना समन्वयक, (पीपीएमएम), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, टीसी-46/V, समाज कल्याण भवन, चतुर्थ तल, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-226010 ।
- (8) मुख्य अभियन्ता, ओबरा/अनपरा/हरदुआगंज/पनकी/पारीछा तापीय विद्युत परियोजना, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, ओबरा(सोनभद्र)/अनपरा(सोनभद्र)/कासिमपुर(अलीगढ़)/पनकी(कानपुर)/पारीछा(झाँसी) ।
- (9) महाप्रबन्धक(मा०सं०), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, लखनऊ ।
- (10) मुख्य अभियन्ता, तापीय परिचालन/ईंधन/पीपीएमएम/वाणिज्य/आर०एण्डएम०, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ ।
- (11) मुख्य अभियन्ता (जानपद)/ (जानपद नव-परियोजनाएँ), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ ।
- (12) अध्यक्ष, विद्युत उत्पादन सेवा आयोग, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ ।
- (13) महा प्रबन्धक (लेखा/सम्प्रेक्षा), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ ।
- (14) कम्पनी सचिव, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ ।
- (15) मुख्य परियोजना प्रबन्धक (प्रगति), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, चतुर्थ तल, नवीन भवन, टीसी/46वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-226010 को निगम की वेबसाइट [www.uprvnl.org](http://www.uprvnl.org) पर अपलोड करने हेतु ।
- (16) उप महाप्रबन्धक/अधीक्षण अभियन्ता (मा०सं०-01/02/03/04/05/06)/रिफॉर्म/तापीय परिचालन इकाई/टाण्डा वाइडिंग सेल/प्रशिक्षण, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ ।
- (17) मुख्य प्रबन्धक (वित्त एवं लेखा), कैंस प्रबन्धन इकाई उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ ।
- (18) समस्त उप सचिव/अधिशारी अभियन्ता/अनुसचिव/अनुभाग अधिकारी (मानव संसाधन), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, लखनऊ ।
- (19) वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी(वे० एवं ले०)/(पेंशन), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, लखनऊ ।
- (20) कार्मिक अधिकारी (आ०सं०), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ ।
- (21) अध्यक्ष, विद्युत पेंशनर्स परिषद, 103 कीर्ति शिखर अपार्टमेन्ट, छितवापुर भुइयन, 12 स्टेशन रोड, लखनऊ ।
- (22) कट फाइल ।

आज्ञा से,



(दिनेश कुमार शर्मा)

अधिशारी अभियन्ता(मा०सं०-02)